कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

स्थानीय निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक/स्था.निर्वा./2020-21/320 अशोकनगर, दिनांक 07/12/2020

निविदा सूचना

(रबर सील हेतु निविदा)

- सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन के पत्र क्रमांक एफ-80-27/2019/सात/230 भोपाल, दिनांक 05.09.2020 एवं पत्र क्रमांक/एफ-80-80/2019/7/410 एवं 412 भोपाल दिनांक 10.10.2019 के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिए रबर की सील/मोहरों को विवरण अनुसार क्रय किया जानाहै। मध्यप्रदेश के समस्त सील/रबर मोहरों के विक्रेताओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।
- निविदाकर्ता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अशोकनगर के नाम से 100/- रूपये की डी.डी./बैंकर्स चैक या 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन-800-अन्य प्राप्तियां हेड में 100/- रूपये भारतीय स्टेंट बैंक में चालान के माध्यम से जमाकर एक प्रति कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के कक्ष क्रमांक 106 में जमाकर दिनांक 21.12.2020 को दोपहर 03:00 बजे तक निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी ashoknagar.nic.in वेवसाईट पर प्राप्त की जा सकती है तथा निविदा दिनांक 22/12/2020 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 22.12.2020 को सायं 03:00 बजे समिति के सदस्यों एवं निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

(अभय वर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.निर्वा./2020-21/321 अशोकनगर, दिनांक 07/12/2020

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
3. आयुक्त, जन सम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अशोकनगर।
7. समस्त तहसीलदार जिला अशोकनगर।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला अशोकनगर।
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर।
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला अशोकनगर।
    क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर आम जनता के लियें चस्पा करायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

:: रबर सील निविदा की शर्तें ::

1. निविदा कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस से छोड़कर) में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला अशोकनगर के कक्ष क्रमांक 106 के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे पर ''रबर की सील/मोहर के लिए निविदा'' लिखा अंकित होना तथा निविदाकार का पूर्ण पता अंकित होना आवश्यक है।
2. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे में भाग 01 (तकनीकी प्रस्ताव) आवेदन पत्र, घोषणा प्रमाण पत्र, फार्म की राशि रसीद/डी.डी. अमानत राशि की डी.डी. /एफ.डी.आर., पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर, श्रम विभाग का पंजीयन आदि तथा दूसरे लिफाफे में भाग 02 केवल वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनों लिफाफा सीलबंद कर एक बड़े लिफाफे में रख कर जमा करना होगा।
3. निविदाकारों के समस्त बंद लिफाफे समिति द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर खोले जाएंगे, जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. तथा आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न नहीं होंगी वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। अर्थात तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने वाले निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिभूमि (अमानत) की राशि रूपये 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) की डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. एवं निविदा फार्म की राशि रूपये 100/– की डी.डी./बैंकर्स चेक या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–02–निर्वाचन–800–अन्य प्राप्तियॉ हेड में 100.00 रूपये चालान के माध्यम से भारतीय स्टेंट बैंक में, जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अशोकनगर के पक्ष में जमा किया जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि एवं निविदा फार्म राशि चालान/डीडी/बैंकर्स चेक प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा दर प्रति नग/प्रति लाईन आदि जैसी भी स्थिति हो, अंकित किया जाना आवश्यक है। निविदा सामग्री की सूची के अनुक्रमांक अनुसार सामग्री की साइज, दर अंकित करना होगा।
6. सफल निविदाकार को राशि रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा, जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।
7. सफल निविदाकार से सामग्री नमूना मांगी जावेगी, प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर इस कार्यालय से वापस ले जाना होगा।
8. निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग–01 के रूप में होगा। तकनीकी प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग–02 नहीं खोला जावेगा। चयन तकनीकी प्रस्ताव उत्तीर्ण होने के बाद, वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जावेगा।
9. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रभावी होगी, तथा आवश्यकतानुसार पूर्वाद्ध एवं उत्तरार्द्ध निर्वाचन हेतु सामग्री की आवश्यकता होने पर निविदा आगामी समय के लिए निरंतर रखने पर विचार किया जा सकता है, जो सफल निविदाकार को मान्य होगा।
10. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा समय – समय पर जारी किये जाने वाले मांगपत्र के अनुसार तत्काल सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदाकार को अपने व्यय पर सामग्री कार्यालय पर पहुंचाना होगा, इसके लिए स्वीकृति दर के अतिरिक्त पृथक से सामग्री की ढुलाई आदि के लिए कोई राशि नहीं दी जावेगी।

12. किसी भी निविदा को स्वीकृति करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला अशोकनगर को होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।
14. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।
15. निविदाकार के पास उसके फर्म के नाम से आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर एवं जीएसटी नम्बर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसे लिफाफा 01 में रखा जाना है।
16. प्राप्त तकनीकी निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे समिति द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर खोले जावेंगे, जिन निविदाकारों के निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर., आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति संलग्न नहीं होंगी, वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। अर्थात् तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने वाले निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
17. निविदाकार द्वारा सामग्री की समय--सीमा में व्यवस्था न करने पर जमा की गई प्रतिभूमि राशि राजसात कर ली जावेगी तथा उपरोक्त व्यवस्था खुले बाजार से कराई जावेगी तथा इस पर होने वाले अधिक व्यय (अंतर राशि) अथवा जो हानि होगी, निविदाकार से भू-राजस्व की भांति वसूल कर समायोजन किया जावेगा।
18. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला अशोकनगर को होगा। जिसे मान्य करने के लिए सभी निविदाकार बाध्य होंगे, इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
19. निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अन्तर्गत जीवित पंजीयनधारी होना चाहिए।
20. निविदा स्वीकृत होने के वाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके वाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
21. निविदाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहियें। यदि वाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।
22. यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों की किसी भी आईटम पर न्यूनतम सामान दरें प्राप्त होती है, तो उस निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी, जिसकी अन्य आईटमों की अधिकतम संख्या पर न्यूनतम दर प्राप्त हुई है।
23. निविदाकार द्वारा सभी दरें जी.एस.टी. छोडकर प्रस्तुत की जावें एवं जी.एस.टी. शासन के नियमानुसार अलग से देय होगी।
24. निविदादाता के देयक का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जावेगा। जिससे किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जावेगी।
25. निविदा फार्म, निविदा शर्तो एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक .... समय सायं .... बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए।

[redacted] कलेक्टर
एवं [redacted] जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन जिला अशोकनगर (म.प्र.)

भाग–दो
वित्तीय प्रस्ताव
(बोली दर को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र)
(पूर्ण रूप से टंकण करवाकर सील हस्ताक्षर कर लिफाफा क्रमांक 02 में रखें)
रबर की मोहरों को प्रदाय करने हेत फाइनेंशियल बिड :–

मैं / हम .... व्यक्ति / फर्म का नाम नगरीय निकायों के आम निर्वाचन एवं त्रि–स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2020–21 हेतु आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की रबर की मोहरों को प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार निविदा दरें देता हूँ/देते हैं :–

नगरपालिका आम निर्वाचन 2020–21 हेतु (ई.व्ही.एम.) हेतु जिला स्तर पर तैयार कराये जाने वाली सीलें :–

क्र.	सील का प्रकार	सील का साईज	दर (प्रति नग)
1	जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.)	5X3 दो लाइन की	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.पा.)	5X3 दो लाइन की	
3	सहा. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.पा.)	5X3 दो लाइन की	
4	रिटर्निंग ऑफिसर (न.पा.)	5X3 दो लाइन की	
5	सहा.रिटर्निंग ऑफिसर (न.पा.)	5X3 दो लाइन की	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	5X3 दो लाइन की	
7	सुभेदक रबर मुहर	गोल चवन्नी आकार की वार्ड क्र. .... मतदान केन्द्र क्रमांक	
8	खारिज मतपत्र की सील	5X8 सात लाइन की	

उपरोक्तानुसार नमूने संलग्न है।

त्रि–स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020–21 हेतु (ई.व्ही.एम.) हेतु जिला स्तर पर तैयार कराये जाने वाली सीलें :–

क्र.	सील का प्रकार	सील का साईज	दर (प्रति नग)
1	जिला निर्वाचन अधिकरी (पंचायत)	5X3 दो लाइन की	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)	5X3 दो लाइन की	
3	सहा. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)	5X3 दो लाइन की	
4	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)	5X3 दो लाइन की	
5	सहा.रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)	5X3 दो लाइन की	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	5X3 दो लाइन की	
7	सुभेदक रबर मुहर पंच/सरपंच	5X3 तीन लाइन की	
8	सुभेदक रबर मुहर ज.पं./जिला पंचायत	5X3 तीन लाइन की	
9	पीठासीन अधिकारी की मुहर	5X3 तीन लाइन की	

10	प्राधिकृत अधिकारी की मुहर	5X3 तीन लाइन की	
11	खारिज मतपत्र की सील	5X3 सात लाइन की	

उपरोक्तानुसार नमूने संलग्न है।

1. निविदा अनुसार समस्त शर्ते मुझे स्वीकार है तथा किसी भी निविदा शर्त के उल्लघंन में दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात कर फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

नाम ....

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

फर्म का मोबाइल नं. ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

रबर सील निविदा आवेदन प्रपत्र
निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा
(निविदा के साथ प्रस्तुत की जावे)

(नगरपालिका / त्रि–स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020–21 हेतु)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम – ....
2. निविदाकर्ता के प्रोपराईटर का नाम – ....
   एवं मोबाईल नम्बर – ....
3. निविदा दाता फर्म का पूरा पता – ....
4. स्थापना अधिनियम के तहत – ....
   संस्था का पंजीयन एवं प्रमाण
   पत्र संलग्न करें
5. संस्था जी.एस.टी. नम्बर – ....
6. संस्था का पैन नम्बर – ....
7. निविदा की प्रतिभूति राशि का विवरण – ....
   1. बैंक एवं शाखा का नाम
   2. बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी. क्रं.
   3. दिनांक
   4. राशि
8. निविदा कर्ता का बैंक का नाम / खाता क्रमांक / आईएफसी कोड क्रमांक विवरण (पास बुक की छायाप्रति) संलग्न करें।

दिनांक – ....

स्थान –..............................

मैं निष्ठापूर्वक शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी, जो मेरे द्वारा दी गई है, सत्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

मोबाईल नं. :

पता :

ई–मेल आई डी :

सील पद मुद्रा :

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत आम निर्वाचन हेतु सुभेदक सीलों के नमूने

स. क.	सील का प्रकार	सील नमूना
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)................	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला.........
2.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) जिला..................
3.	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) जिला..................
4.	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जिला..................
5.	सहा. रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)	सहा. रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जिला..................
6.	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	मतदाता सूची की चिन्हि प्रति वार्ड..............भाग क..................
7.	सुभेदक मोहर पंच / सरपंच	खण्ड .... | वार्ड क मतदान केन्द्र क............... ग्राम पंचायत.....................
8.	सुभेदक मोहर ज.प. / जि.प.	खण्ड......... | नि.क्षे.क.......... म.के.क. | ज.प............. जि.प..............
9.	पीठासीन अधिकारी की मोहर	पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क........................ खण्ड..
10.	प्राधिकृत अधिकारी की मोहर	प्राधिकृत अधिकारी मतदान केन्द्र क........................ खण्ड..
11.	खरिज मतपत्र की मोहर	प्रतिक्षेपित (खरिज) आधार .... नियम 76(1)... हस्ताक्षर

(नवीत कुमार धुर्वे)
उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका आम निर्वाचन (ई.व्ही.एम.) हेतु सुभेदक सीलों के नमूने

स.क.	सील का प्रकार	सील नमूना
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)................	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला.........
2.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) जिला.................
3.	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) जिला..................
4.	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) जिला...................
5.	सहा. रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)	सहा. रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) जिला..................
6.	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	नगर पालिका परिषद .... मतदाता सूची की चिन्हित प्रति वार्ड कमांक............................... मतदान कमांक..........................
7.	सुभेदक रबर मोहर	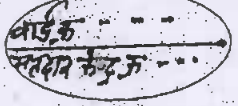
8.	खारिज मतपत्र की सील	प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 66(4) क. प्ररूप 19–ग में घोषणा अप्राप्त ख. घोषणा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या अभिप्रमाणित नही. ग. घोषणा अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण घ. घोषणा में अंकित मतपत्र कमांक लिफाफा प्ररूप–19–क पर पृष्ठांकित मतपत्र कमांक से भिन्न. .... रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)
9.	खारिज मतपत्र की सील	प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 66(8) क. मतपत्र पर मतदाता की पहचान वाला चिन्ह. ख. मतपत्र पर मत अभिलिखित नहीं. ग. एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतांकन. घ. मतपत्र बनावटी है. ड. मतपत्र क्षतिग्रस्त / विकृत. च. मतपत्र निर्धारित लिफाफा 19–क में बंद नहीं. छ. मतांकन स्पष्ट रूप से किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं .... रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

05/09/2020

(नवीत कुमार धुर्वे)
उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल